

न्यायालय, जिला न्यायाधीश-तृतीय, सिवान
उपस्थित- उमेश मणि त्रिपाठी

Probate Case No.-13/2012
C.I.S. No.- 312/2013

अशोक गिरी एवं अन्यआवेदकगण
बनाम
मु० फुलमति कुँवरविपक्षी

आदेश

14.07.2026

आवेदक अनुपस्थित है। वाद पुकार पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। देखा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की ओर से विगत कई तिथियों से हाजिरी नहीं दी जा रही है। आवेदक पक्ष को उचित पैरवी करने न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्देश दिया गया है परन्तु आवेदक आज भी अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रोबेट वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत प्रोबेट वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा वाद का निस्तारण किया जाता है।

कार्यालय इसे प्रावधानिक अवधि पर अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ह०/—

(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला न्यायाधीश-तृतीय,
सिवान
दिनांक 14.07.2026

Date of order/Judgement	15-06-2026
Date of Reserving order/Judgement	15-06-2026
Uploading Date	17-06-2026
Uploaded By	Mosarrat Hussain